<u>राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की दिनांक 05/12/2017 को आयोजित 135वीं बैठक के कार्यवृत्त</u>

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 135वीं बैठक कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा श्री अशोक कुमार गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में श्री सुबोध अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव, एमएसएमई, राजस्थान सरकार, श्री हेमंत गेरा, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, श्री राजेश शर्मा, महापंजीयक, मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग, राजस्थान सरकार, श्री बी. एस. जाट, संयुक्त सचिव, संस्थागत वित्त, राजस्थान सरकार, श्री प्रमोद प्रधान, महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री ए.के. सिंह, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, श्री आर.के.थानवी, महाप्रबन्धक, नाबार्ड, श्री एन.सी. उप्रेती, संयोजक, एस.एल.बी.सी. राजस्थान तथा राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सिड्बी, विभिन्न बैंकों, इंडियापोस्ट, बीमा कम्पनियों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों / अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गयी. **(संलग्न सूची के अनुसार)**

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा समिति के अध्यक्ष महोदय को उद्बोधन हेतु अनुरोध किया.

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अध्यक्ष तथा कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा अपने उद्बोधन में एस.एल.बी.सी. एवं सभी हितग्राहियों के द्वारा राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की.

उन्होने बताया कि राजस्थान के विकास में एसएलबीसी का महत्वपूर्ण योगदान है. इसका श्रेय भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सिड्बी, बीमा कंपनी, बैंक तथा भारत एवं राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों की सक्रिय भागीदारी को जाता है. एसएलबीसी के माध्यम से आर्थिक एवं अन्य महत्वपूर्ण पैरामीटर पर महत्वपूर्ण निर्णय एवं समीक्षा बैठक के द्वारा राज्य के विकास में नियमित प्रयास किए जा रहे है

पिछले दो दशकों में एसएलबीसी ने इस दिशा में ठोस प्रयास किए यथा राज्य सरकार एवं अन्य हितधारकों के साथ समन्वय कर एवं विभिन्न बैठक आयोजित कर विकासपरक मुद्दो पर गहन निगरानी से नई ऊंचाइयों के आयाम तय किया है.

राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है एवं राज्य के आर्थिक विकास में कृषि का प्रमुख योगदान है एवं इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार उत्पन्न होता है. कृषि के अलावा एमएसएमई एवं पर्यटन का भी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है. देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हो रही है. औद्योगिक, कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में विकास में गति लाने के लिए पिछले कुछ वर्षो में राज्य सरकार द्वारा कई पहल/प्रयत्न किए हैं जिसमें से वर्ष 2017-18 में उदयपुर एवं कोटा जिलें में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM) है. ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट में कृषि क्षेत्र की नई तकनीक से राजस्थान की जनता को रूबरू करवाना एवं राजस्थान में उपलब्ध संभावनाओं (Potential) में निवेश हेतु

पूरे विश्व से कृषि क्षेत्र की कंपनियों एवं कृषकों को आमंत्रित किया गया. राज्य में सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाओं में बैंकों के द्वारा सक्रिय भागीदारी निभाई जा रही है एवं राज्य में बैंकिंग व्यवसाय यथा सामान्य एवं कृषि ऋण प्रदान करने के विशाल अवसर मौजूद है

राजस्थान सरकार द्वारा माह अगस्त 2017 में कोटा जिलें में एवं दिसंबर 2017 में उदयपुर में डीजीफेस्ट 2017 (Digi Fest 2017) का आयोजन किया गया. Digi fest अपनी तरह का एक अभिनव (Innovative) उत्सव है जिसमें उभरते हुए उद्यमियों, आईटी एवं ई-गवर्नेंस के क्षेत्र से शुरू होने वाली खोज को समेकित किया गया है. उक्त डीजीफेस्ट में स्टार्टअप, कॉर्पोरेट्स, डोमेन विशेषज्ञों व उद्यम पूंजीपतियों के लिए भारत भर से अपने आदर्श विचारों (Novel Idea), अनुभवों का प्रदर्शन, नवाचारों को साझा करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा एक मंच प्रदान किया गया. Digi fest अपनी तरह का एक अभिनव (Innovative) उत्सव है जिसमें उभरते हुए उद्यमियों, आईटी एवं ई-गवर्नेंस के क्षेत्र से शुरू होने वाली खोज को समेकित किया गया है. इसके अलावा Digi fest में सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान करायी गयी हैं

जैसा कि आप सबको विदित है कि भारत सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़ोर दे रही है एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में डिजिटल भुगतान के लिए राशि रू 2500 करोड़ के लक्ष्य के तहत राजस्थान राज्य को राशि रू 129 करोड़ का लक्ष्य आवंटित किए गया है. राजस्थान सरकार सभी बैंकों के सहयोग से एनपीसीआई (NPCI) ईको सिस्टम स्थापित कर रही है जिसमे सरकार के सभी डिलीवरी कियोस्क एवं मर्चेन्ट के द्वारा सभी तरह के डिजिटल भुगतान स्वीकार होंगे. राजस्थान सरकार द्वारा ईको सिस्टम के अंतर्गत आधारभूत ढांचा स्थापित करने के लिए विभिन्न मर्चेन्ट को 10,000 टेबलेट्स, आधार बेस्ड भुगतान स्वीकार करने के लिए विभिन्न मर्चेन्ट को 1 लाख सिंगल फिंगर प्रिंट स्केनर एवं विभिन्न बैंकों के बी सी को 15,000 माइक्रो एटीएम प्रदान किए जा रहे हैं. इसके अतिरिक्त, सभी प्रकार के भुगतानों की सुविधा के लिए राजस्थान पेमेंट प्लेटफार्म की स्थापना की अनूठी पहल राजस्थान सरकार द्वारा की गई है.

अध्यक्षीय उद्बोधन के सार बिन्दु निम्नानुसार रहे:-

- मूडीस इन्वेस्टर सर्विस (मूडीस) ने भारत की स्थानीय एवं विदेशी मुद्रा जारी करने की रेटिंग Baa 2 से बढ़ाकर (Upgrade) Baa 3 कर दी गई है उक्त स्थिर रेटिंग अब सकारात्मक ऊंचाइयों की तरफ है. यह रेटिंग 13 वर्षों के बाद सकारात्मक ऊंचाइयों की तरफ है. भारत की सोविरेन क्रेडिट रेटिंग (Sovereign Credit Rating) अंतिम बार जनवरी 2004 में अपग्रेड (Ba 1 से Baa 3) हुई थी+.

- भारत सरकार द्वारा किए गए प्रमुख आर्थिक एवं संस्थागत सुधार (reform) को मूडीस द्वारा स्वीकार किया गया उक्त सुधारों (reform) में प्रमुख रूप से जीएसटी (Goods and Service Tax) को लागू करना, कठोर मौद्रिक नीति, सार्वजनिक बैंकों में पुनः पूंजीकरण प्रदान करना, अर्थव्यवस्था में फोरमलाईजेशन (Formalisation) एवं डिजिटीलिकरण के लिए उठाए गए कदम, विमुद्रीकरण,

आधार का बैंक खातों से प्रमाणीकरण, लक्षित समूहों को लाभान्वित करने के लिए डीबीटी (Direct Benefit Transfer) सिस्टम इत्यादि शामिल है.

- आईएमएफ़ के अनुमान के अनुसार वर्ष 2017 की वैश्विक GDP 3.6% से बढ़कर वर्ष 2018 में 3.7% रहने की संभावना है.

- मुद्रा विनिमय के सुस्त रहने एवं वर्ष के मध्य जीएसटी के लागू होने के कारण भारत के विकास की गति में प्रभाव पड़ा है. आईएमएफ़ (International Monetory Fund) के अनुसार भारत की विकास की गति नवम्बर 2017 में 0.5% से घटकर 6.7% रहने का अनुमान है

- उपाध्यक्ष, नीति आयोग, भारत सरकार ने एक व्यक्तव्य में कहा है कि नीति आयोग द्वारा एक त्रि-वर्षीय योजना बनायी गयी है जो उद्योगों को बढ़ावा देगी एवं अन्य क्षेत्रों यथा कृषि, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार लाकर विकास की गति को भी तेजी देगी जो कि वर्ष 2017-18 से प्रारम्भ होने की संभावना है.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राज्य के सितम्बर 2017 तिमाही के विभिन्न पैरामीटर्स यथा कुल जमाओं, कुल अग्रिमों, कृषि अग्रिमों, सीमांत एवं लघु कृषकों को ऋण, साख जमा अनुपात इत्यादि के बारे में बताया एवं उक्त सभी पैरामीटर्स पर एजेंडा के कार्यबिन्दु के साथ चर्चा करने की सलाह दी. अंत में राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सदस्य बैंक व अन्य हितधारकों के आपसी सहयोग व समन्वय से राज्य के सतत विकास प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति पर धन्यवाद किया.

तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति श्री राजीव शर्मा ने बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दु पर प्रस्तुतीकरण आरंभ किया:

एजेण्डा क्रमांक -1 (1.1) विगत **134** वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी.

एजेण्डा क्रमांक -1 (1.2) **135** वीं बैठक के कार्यवाही बिन्दु:-

ऑन-साईट ए.टी.एम .स्थापना

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अवगत करवाया कि बीआरकेजीबी के 42 एटीएम कार्यशील है एवं इसके अलावा 10 एटीएम मशीनों की आपूर्ति हो चुकी है जो दिसम्बर 2017 तक कार्यशील हो जाएंगे. राजस्थान सरकार को हमारे द्वारा 48 एटीएम स्थापना के लिए अनुरोध किया गया है एवं यह प्रस्ताव राजस्थान सरकार के पास अनुमोदन के लिए लंबित होने से सूचित किया गया है.

महाप्रबन्धक, बीआरकेजीबी ने बताया कि राजस्थान सरकार से 48 एटीएम स्थापना की अनुमति प्राप्त होने पर आगामी त्रैमासिक मे कुल 100 एटीएम स्थापित कर दिए जाने से सूचित किया.

(कार्यवाही: बीआरकेजीबी)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आरएमजीबी द्वारा 15 एटीएम स्थापित कर कार्यशील कर दिये गए है तथा 12 शाखाओं में एटीएम स्थापित करने की कार्यवाही के प्रक्रियाधीन होने से सूचित किया है

अध्यक्ष, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक ने अवगत करवाया कि दिनांक 31.12.2017 तक 27 एटीएम की स्थापना कर सक्रिय कर दिये जाने से सूचित किया.

(कार्यवाही: आरएमजीबी)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एक्सिस बैंक द्वारा सूचित किया गया है कि व्यावसायिक व्यवहार्यता प्राप्त नहीं होने की स्थिति में 38 एटीएम बंद किए गए है एवं अप्रैल 2017 से 9 नए एटीएम भी स्थापित किए गए है एवं पीएनबी द्वारा सूचित किया है कि व्यावसायिक व्यवहार्यता प्राप्त नहीं होने के के चलते एटीएम बंद कर उन्हे अन्य जगह स्थापित किए जा रहे है.

प्रतिनिधि, पीएनबी ने बताया कि एटीएम बंद नहीं किए जा रहे है एवं एटीएम को तकनीकी अपग्रेड करने हेतु ही बंद किया गया है एवं जैसे ही अपग्रेड हो जाएंगे तो फिर से एटीएम सक्रिय कर दिए जाएंगे.

प्रतिनिधि, एक्सिस बैंक ने बताया कि अन्य नयी जगह पर व्यावसायिक व्यवहार्यता होने की स्थिति में एटीएम स्थापित किए जा रहे है.

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि अन्य बैंकों ने अपनी सभी शाखाओं में ऑन-साईट ए.टी.एम. स्थापना करने के बिन्दु को अनुपालनार्थ नोट किए जाने से सूचित किया है. सितम्बर 2017 तक राज्य में 7490 बैंक शाखाओं के सापेक्ष में 4976 ऑन-साईट एटीएम की स्थापना बैंकों द्वारा की जा चुकी है. साथ ही उन्होने सभी बैंको से अनुरोध किया कि बैंक अपनी सभी शाखाओं में ऑन-साईट ए.टी.एम. स्थापित करने कार्यवाही करें.

(कार्यवाही: नियंत्रक संबन्धित बैंक, राजस्थान)

<u>आरसेटी (RSETI) को भूमि आवंटन</u>

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वर्तमान में 35 आरसेटी/रूडसेटी परिचालन में हैं जिनमें से 11 आरसेटी के भूमि आवंटन प्रकरण राज्य सरकार के स्तर से लंबित चल रहे हैं. निम्नलिखित

भूमि आवंटन प्रकरणों पर समुचित कार्यवाही कर जल्द निस्तारण करने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया गया.

आरसेटी, अलवर (PNB): उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि सचिव, यू. आई. टी. अलवर द्वारा प्लॉट न. 3, वैशाली नगर, अलवर मे 2500 वर्ग मीटर भूमि चिन्हित की गई है. सचिव, यू. आई. टी. अलवर ने पत्रांक 20591/17 दिनांक 9-1-2017 से भूमि आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रकरण को संयुक्त शासन सचिव, ग्रुप-2, शहरी निकाय विभाग राजस्थान सरकार को प्रेषित किया है. दिनांक 14.11.2017 को शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार ने ACM, अलवर एवं निदेशक, आरसेटी अलवर को निदेशक, यूडीएच से समन्वय कर प्रकरण को शीघ्र निस्तारित करने हेतु निर्देश प्रदान किए है.

(कार्यवाही: शहरी निकाय विभाग एवं ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार)

आरसेटी, चित्तौड़गढ़ (BOB): उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वैकल्पिक भूमि आवंटन के लिए अग्रणी जिला प्रबन्धक चितौड़गढ़ एवं निदेशक, आरसेटी, चितौड़गढ़ द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय, चितौड़गढ़ से निरंतर अनुरोध करने के उपरांत भी जिला प्रशासन के स्तर पर कोई प्रगति नहीं हुई है. दिनांक 14.11.2017 को शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर ने पूर्व में आवंटित भूमि पर 60ft चौड़ी रोड के नियम में शिथिलता दिलवाने हेतु दूरभाष पर आश्वासन दिया. प्रकरण जिला प्रशासन स्तर पर लंबित है.

(कार्यवाही: शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान सरकार)

आरसेटी, सवाईमाधोपुर (BOB) : **उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि दिनांक 14.11.2017 को शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर ने दूरभाष पर बताया कि जिला परिषद, सवाई-माधोपुर की परिसीमा में भूमि की उपलब्धता के नहीं होने के चलते जिला परिषद की परिसीमा में भूमि आवंटन संभव नहीं हो पा रहा है तथा उन्होने RIICO औद्योगिक क्षेत्र में नई भूमि आवंटित करने का आश्वासन दिया. उक्त बैठक के कार्यवृत में यह बिन्दु सम्मलित नहीं किया गया है जिसके लिए एसएलबीसी कार्यालय द्वारा कार्यवृत के शुद्धि पत्र जारी करने हेतु संबन्धित विभाग से अनुरोध किया गया है.

(कार्यवाही: शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान सरकार)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आरसेटी चुरू के भूमि आवंटन के प्रकरण का निस्तारण हो चुका है एवं आवंटित भूमि पर भवन निर्माण कार्य की कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है. साथ ही उन्होने बताया कि दिनांक 14.11.2017 को शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता

में आरसेटी भूमि आवंटन प्रकरण के निस्तारण हेतु आयोजित बैठक के जारी कार्यवृत में विभिन्न आर-सेटी से संबन्धित विवरण संलग्न नहीं किए गए उक्त विवरण को एसएलबीसी कार्यालय द्वारा कार्यवृत के शुद्धि पत्र जारी करने हेतु रजीविका विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया गया है.

आरसेटी जालौर : दिनांक 14.11.2017 को आयोजित बैठक में एसबीआई प्रतिनिधि ने बताया कि उनके बैंक के द्वारा Civil Suit के विरुद्ध पैरवी की जावेगी एवं वैकल्पिक भूमि आवंटन की आवश्यकता नहीं है.

आरसेटी श्रीगंगानगर : शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार ने निदेशक, आरसेटी, श्रीगंगानगर को निदेशक, यूडीएच, राजस्थान सरकार से समन्वय कर प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश प्रदान किए गए.

आरसेटी पाली : शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार ने एसबीआई प्रतिनिधि को जिला प्रशासन द्वारा मांगी गई भूमि की नाममात्र लागत/व्यय राशि को जमा कराने की सलाह प्रदान कर भूमि आवंटन के प्रकरण को शीघ्र निस्तारण के निर्देश प्रदान किए.

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार एवं प्रायोजक बैंक)

राज्य निदेशक, आरसेटी ने राज्य में कार्यरत समस्त आरसेटी के भवन निर्माण एवं भूमि आवंटन की प्रगति के बारे में अवगत करवाया एवं भूमि आवंटन हेतु शेष रही आरसेटी के प्रकरण ग्रामीण विकास विभाग से समन्वय कर निस्तारण करवाने का आश्वासन दिया.

<u>वसूली (PDR Act)</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बैकों के लिए तेजी से बढ़ता हुआ NPA चिंता का विषय है. उन्होने बताया कि केंद्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में सरकार से वसूली में सहयोग की अपेक्षा की जाती है. राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार के सभी ऋणों को राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1952 में शामिल किया जाये ताकि बैंकों की वसूली में सुधार हो सके तथा आगे नये ऋण देने में उन्हे प्रोत्साहन मिल सकें. राज्य सरकार से अपेक्षित कार्यवाही हेतु पुनः अनुरोध है.

(कार्यवाही: राजस्व विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 134वीं बैठक में प्रतिनिधि पीएनबी ने सूचित किया था कि श्री गंगानगर जिले में कृषि ऋण में एनपीए के विरूद्ध रोड़ा एक्ट में कार्यवाही के उपरांत बंधक भूमि की नीलामी में भूमि की डीएलसी दर पर भी बोली सफल नहीं होने की स्थिति में भूमि की डीएलसी दर से कम दर पर भूमि को नीलाम करने हेतु अनुमति देने हेतु राजस्थान

सरकार से अनुरोध किया. इस संबंध में भूमि की डीएलसी दर कम करने के प्रकरण को निस्तारण करने के संबंध में अग्रणी जिला प्रबन्धक, श्री गंगानगर से जिला प्रशासन से संपर्क करने हेतु निर्देश प्रदान किए गए.

प्रतिनिधि पीएनबी ने बताया कि यह प्रकरण श्री गंगानगर से संबन्धित नहीं हो कर बीकानेर जिले से संबन्धित है एवं उक्त प्रकरण को अग्रणी जिला प्रबन्धक, बीकानेर को प्रेषित किया जाने हेतु अनुरोध किया गया.

प्रमुख शासन सचिव, एमएसएमई, राजस्थान सरकार ने प्रतिनिधि, पीएनबी को निर्देश दिये कि उक्त प्रकरण जिला स्तर से संबन्धित है एवं जिला कलेक्टर, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत करें. शाखा प्रबन्धक स्तर की एक कमेटी गठित कर प्रकरण से संबन्धित समस्त मुद्दे पर चर्चा कर संबन्धित जिला प्रशासन को प्रस्तुत करें ताकि जिला प्रशासन स्तर से कार्यवाही की जा सके.

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि सितम्बर तिमाही में राज्य में दो जिले यथा डूंगरपुर एवं सिरोही जिले का CD Ratio 40% से नीचे आ जाने के कारण जिले के साख जमा अनुपात प्रदर्शन की निगरानी हेतु अग्रणी जिला प्रबन्धक के संयोजन में DCC की विशेष उप समिति का गठन कर लिया गया है. डूंगरपुर एवं सिरोही जिले की समिति की बैठक क्रमशः 13.10.2017 एवं 27.11.2017 को आयोजित की गई. जिला डूंगरपुर, राजसमंद एवं सिरोही का सितम्बर 2017 (जून 2017) का साख जमा अनुपात क्रमशः 35.17 (33.51%), 43.24 (41.11%) एवं 38.54 (37.21%) रहा है. इस प्रकार जिला राजसमंद में सितम्बर 2017 का जमा साख अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक के बेंचमार्क से थोड़ा ऊपर रहा है.

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि जिला डूंगरपुर, राजसमंद एवं सिरोही में अधिकतर भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं मौजूद है. इन बैंकों को उक्त जिलों की शाखाओं का साख जमा अनुपात की समीक्षा विशेष रूप से करने हेतु साख जमा अनुपात बढ़ाने की कार्य योजना बनाने हेतु एवं कार्य योजना के सापेक्ष उपलब्धि के आकड़ें एसएलबीसी को प्रस्तुत करने के बैंक नियंत्रकों को निर्देश प्रदान किए ताकि आगामी बैठक में उक्त आकड़ों की समीक्षा की जा सके.

(कार्यवाही : नियंत्रक, एसबीआई, बीओबी, पीएनबी, सीबीआई, राजस्थान)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि साख जमा अनुपात प्रदर्शन की निगरानी हेतु अग्रणी जिला प्रबन्धक के संयोजन में DCC की गठित विशेष उप समिति द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है. इस संबंध में डूंगरपुर जिले के जून 2017 तिमाही के साख जमा अनुपात 33.51% से बढ़कर सितम्बर तिमाही में 35.17% हो गया है.

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 134वीं बैठक में महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया था कि को-ओपरेटीव बैंक की जमाओं में वृद्धि केवल

0.50% है एवं बैंक का साख जमा अनुपात 180% है जो कि बैंक के लिए चिंताजनक स्थिति है. बैंक के साख जमा अनुपात पर नियमित निगरानी रखने की जरूरत बतलाई.

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में बैंकों की मदद से ऋण प्रदान करने हेतु क्षेत्र विशिष्ट (Area Specific) योजना नाबार्ड द्वारा तैयार की गई है. जिला डूंगरपुर, राजसमंद एवं सिरोही के लिए भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से क्षेत्र विशिष्ट (Area Specific) योजना बनाने के लिए नाबार्ड तत्पर है.

<u>वित्तीय समावेशन प्लान</u> (FIP 2016-19)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन प्लान "अप्रैल 2016 से मार्च 2019" केवल 13 बैंकों द्वारा ही एसएलबीसी को प्रस्तुत किया गया है. साथ ही उन्होने बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार बैंकों के कॉर्पोरेट/ प्रधान कार्यालय द्वारा ही txt format में यह डेटा भारतीय रिजर्व बैंक की Dataware house website पर सीधे ही अद्यतित करवाने की कार्यवाही करें.

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा उत्तरप्रदेश के प्रतापगढ़ कस्बे में खोली गयी डिजिटल शाखा मॉडल के अनुरूप राज्य में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा चार डिजिटल शाखाएं (1. राजियासर मीठा जिला चूरू 2. रतकुड़िया जिला जोधपुर 3. भापोर जिला बांसवाड़ा 4. दुर्गापुरा, जयपुर) खोल दी गयी है एवं अन्य सदस्य बैंकों द्वारा डिजिटल शाखाएं खोले जाने से संबन्धित सूचना प्रतीक्षित है.

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में कार्यरत बैंक यथा बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एवं आईसीआईसीआई बैंक द्वारा लगभग 82 गांव को पूर्णत: डिजिटलीकरण (Digitalization) हेतु गोद लिये गये हैं. इसके साथ ही बीआरकेजीबी द्वारा 120 गांव, आरएमजीबी द्वारा 24 गांव, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 4 गांव, एक्सिस बैंक द्वारा 2 गांव पूर्णत: डिजिटलीकरण (Digitalization) हेतु गोद लिये जाने से सूचित किया है. अन्य शेष बैंक नियंत्रकों से उनके बैंक द्वारा पूर्णत: डिजिटलीकरण (Digitalisation) हेतु गोद लिये गये गांवों की सूचना एसएलबीसी को प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया.

प्रतिनिधि, पीएनबी ने बताया कि उनके बैंक द्वारा गोद लिये गए 5 गांवों को पूर्णत: डिजिटलीकरण (Digitalization) कर दिया गया है.

<u>5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित गॉवों का रोडमैप (FIP - Road Map)</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि दिनांक 25/10/2017 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की उपसमिति की बैठक के दौरान की गयी समीक्षा में दिनांक 30.09.2017

तक 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित (Unbanked) 171 गांवों में नयी शाखाएँ खोलने की स्थिति निम्नानुसार रही:

- 41 गांवों में बैंक शाखाएं खोल दी गयी हैं.
- 31 गांवों में शाखाएं खोलने के प्रस्ताव बैंकों के विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन हैं.
- 99 गांवों में शाखाएं खोलने के प्रस्ताव बैंकों ने आर्थिक/ व्यावसायिक लाभप्रदता को ध्यान में रखते हुए एवं अन्य कारणों से असमर्थता व्यक्त की है.

इसके साथ ही अधिकतर बैंकों ने यह भी सूचित किया है कि उनके द्वारा 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों में बीसी के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है. भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दिनांक 18.05.2017 को जारी परिपत्र में परिभाषित "बैंकिंग आउटलेट" से 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित गांवों को कवर किया जाना है.

महप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित गांवों में बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से (शाखा अथवा बीसी) से बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने की अंतिम तिथि 31.12.2017 है. उन्होने बताया कि 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित (Unbanked) 171 गांवों में नयी शाखाएँ खोलने के लक्ष्य के सापेक्ष केवल 41 गांवों में बैंक शाखाएं खोली गयी है. जिसके लिए उन्होने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की.

साथ ही उन्होने सभी बैंक नियंत्रकों को निर्देश प्रदान किए कि दिनांक 31.12.2017 से पूर्व 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित (Unbanked) गांवों में बैंकिंग आउटलेट की परिभाषा की औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए शाखा अथवा बीसी के माध्यम से बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

प्रमुख शासन सचिव, एमएसएमई, राजस्थान सरकार ने समस्त बैंक नियंत्रकों को निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए :

- पीएमईजीपी के तहत राज्य के संशोधित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु भरसक प्रयास करने हेतु बैंक शाखाओं को निर्देशित करें.

- भामाशाह रोजगार सृजन योजना की संशोधित दिशा-निर्देशानुसार के परिपत्र संख्या प.1(27) उद्योग/ग्रुप-2/2015 दिनांक 22.09.2017 के अनुसार योजनांतर्गत व्यापार व सेवा क्षेत्र उद्यम की स्थापना हेतु अधिकतम राशि रू 10 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र के उद्यम की स्थापना हेतु अधिकतम राशि रू 25 लाख तक के ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा. प्रदत्त ऋण का समय पर चुकारा करने पर 8% की दर से ब्याज अनुदान दिया जायेगा. यदि बैंक ऋण पर देय ब्याज दर 8% अथवा उससे

कम है तो शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा. योजनांतर्गत लाभ बेरोजगार आवेदक जो भामाशाह योजना में पंजीकृत हो, को ही देय होगा. साथ ही उन्होने बताया कि भामाशाह रोजगार सृजन योजना की पात्रता रखने वाले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभान्वितों को भामाशाह रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान से भी लाभान्वित किया जा सकता है इसके लिए बैंक शाखाओं को पुनः निर्देशित करें ताकि योजनांतर्गत लोगो अधिकाधिक लाभ मिल सकें.

- सपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का शीघ्र निस्तारण तथा पीएमईजीपी एवं बीआरएसवाई योजनांतर्गत आवेदन पत्रों को उचित कारण अंकित कर ही लौटाने के शाखाओं को निर्देशित करें.
- भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों के विलय के पश्चात शाखाएं बंद की जा रही है जिससे ग्राहकों को अनावश्यक परेशानी हो रही है.
- पीएमईजीपी एवं बीआरएसवाई योजनांतर्गत आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए बैंक शाखाएं सहयोग नहीं कर रही है इस संबंध में शाखाओं को निर्देशित करें कि .भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों/सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में निर्धारित समयावधि में ही बीआरएसवाई योजनांतर्गत आवेदन पत्र को निस्तारित करने हेतु शाखाओं को निर्देशित करें.

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि जिन स्थानों पर एक से अधिक शाखाएं स्थापित थी उन्ही शाखाओं को बंद किया जा रहा है एवं ग्राहक सेवा का पूर्ण ध्यान रखा जा रहा है.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एसएलबीसी की 132 वीं बैठक में अतिरिक्त निदेशक, सूचना प्रोध्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि आरआईएसएल (RISL) को पांच बैंकों यथा बैंक ऑफ बड़ौदा, बीआरकेजीबी, पीएनबी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं एसबीआई द्वारा कॉर्पोरेट बीसी बनाया गया है एवं अन्य बैंकों से भी आरआईएसएल (RISL) को कॉर्पोरेट बीसी बनाने का अनुरोध किया.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>अन्य कार्यवाही बिन्दु</u>

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एसएलबीसी की 133 वीं बैठक में आयुक्त उद्योग एवं शासन सचिव, सीएसआर राजस्थान सरकार ने सुझाव दिया कि सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली राज्य में कार्यरत बैंक शाखाओं में से 3 शाखा प्रबन्धकों का चयन कर एसएलबीसी बैठकों में सम्मानित किया जाना चाहिए. इसकी अनुपालना में आयुक्त उद्योग एवं शासन सचिव, सीएसआर राजस्थान सरकार से चर्चा में यह तय किया है कि आगामी एसएलबीसी की 136 वीं बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2 शाखा प्रबन्धक जो निम्न 2 वर्गो से संबन्धित होंगें को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है

1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

इसके अतिरिक्त इस योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले के अग्रणी जिला प्रबन्धक को भी सम्मानित किया जायेगा.

इसके पश्चात एसएलबीसी की 137 वीं बैठक में NRLM योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शाखा प्रबन्धकों (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं कॉ-ऑपरेटीव बैंक) एवं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले के अग्रणी जिला प्रबन्धक को भी सम्मानित किया जावेगा.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एसएलबीसी की 133 वीं बैठक में आयुक्त उद्योग एवं शासन सचिव, सीएसआर राजस्थान सरकार ने बताया कि सभी बैंक Companies Act की धारा 17 के अंतर्गत सीएसआर का कार्य करते है इसमें उन्होने सुझाव देते हुए कहा कि उनका विभाग एक योजना बना कर बैंको की समिति के समक्ष प्रस्तुत करने को तैयार है जिसमें Meritorious छात्रों/छात्राओं को हॉस्टल फीस-स्कोलरशिप के रूप में प्रदान की जाएं. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 133 वीं बैठक में अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने उक्त कार्ययोजना पर एसएलबीसी की उपसमिति में चर्चा करने के लिए दिये गये निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 09/08/2017 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की उपसमिति की बैठक आयोजित की गयी. बैठक के दौरान आयुक्त, उद्योग एवं शासन सचिव, सीएसआर, राजस्थान सरकार ने मुख्य कार्यकारी प्रबन्धक, राजीविका, राजस्थान सरकार को निर्देश दिये कि सुमेधा एनजीओ के द्वारा राज्य में मेघावी छात्र/छात्राओं को स्कॉलरशीप देकर लाभान्वित किये जाने की प्रक्रिया को समझे एवं सभी हितग्राहियों से साझा करें. इस संबंध में मुख्य कार्यकारी प्रबन्धक, राजीविका, राजस्थान सरकार से सुमेधा एनजीओ के द्वारा राज्य में मेघावी छात्र/छात्राओं को स्कॉलरशीप देकर लाभान्वित किये जाने की प्रक्रिया को सभी हितग्राहियों से साझा करना प्रतीक्षित है.

(आयुक्त, उद्योग एवं शासन सचिव, सीएसआर, राजस्थान सरकार, एसएलबीसी, राजीविका विभाग, राजस्थान सरकार एवं नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>कनेक्टिविटी की समस्या</u> (Connectivity Issue)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने कनेक्टिविटी की समस्या से ग्रस्त ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी की समस्या का निस्तारण करने एवं कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने में आने वाले आवर्ती खर्चों को वहन करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज्य सरकार से अनुरोध किया.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में 822 स्थानों पर कनेक्टिविटी की समस्या के निस्तारण हेतु VSAT लगाने के लिए नाबार्ड द्वारा स्वीकृति जारी की जा चुकी हैं एवं जिसमें से दिनांक 30.09.2017 तक 219 स्थानों पर VSAT लगाने की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है. बीआरकेजीबी (265) एवं पीएनबी (102) द्वारा सूचित किया गया है कि उनके बैंक के द्वारा चिन्हित स्थानों पर कनेक्टिविटी की समस्या नहीं है. इस संबंध में इन स्थानों पर एसएलबीसी से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त

कर नाबार्ड से अनुदान के क्लेम करने की कार्यवाही 31 दिसंबर 2017 से पूर्व कर पुनर्भरण प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया.

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने बताया कि जिन स्थानों पर VSAT स्थापित हो गए है उन स्थानों के लिए नाबार्ड से अनुदान के क्लेम करने की कार्यवाही शीघ्र आरंभ करें.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के तहत राज्य में 10000 से कम आबादी वाले गावों में कम से कम 2 PoS मशीन स्थापित करने का लक्ष्य है. इस संबंध में 10393 गांवों में 14300 PoS मशीनों की स्थापना के लिए नाबार्ड ने 8.58 करोड़ रू की लागत पुनर्भरण की सैद्धांतिक मंजूरी दी है. साथ ही बताया कि लागत का पुनर्भरण दिसम्बर 2017 तक ही संभव है से सूचित किया गया. दिनांक 15.11.2017 तक राज्य में 10000 से कम आबादी वाले गावों में कम से कम 2 PoS मशीन स्थापित करने का लक्ष्य के सापेक्ष राज्य में विभिन्न बैंकों के द्वारा 431 गांवों में केवल 578 PoS मशीनों की स्थापना की गयी है.

<u>आधार सीडिंग</u> (Aadhar Seeding)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आयुक्त, ई.जी.एस. विभाग द्वारा सक्रिय मनरेगा लाभार्थियों के खातों में आधार सीडिंग हेतु दिनांक 30.09.2017 तक 4.50 लाख सहमति पत्र विभिन्न बैंक शाखाओं को प्राप्त हुए हैं. प्राप्त सहमति पत्र में से 4.35 लाख खातों में आधार सीड किए जा चुके हैं. आधार कार्ड सीडिंग हेतु भेजे गये सहमति पत्रों की बैंक शाखावार सूचना भी उपलब्ध करवाने हेतु ई.जी.एस. विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 134 वीं बैठक में अतिरिक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि राजस्थान सरकार डिजिटल भुगतान इको सिस्टम बना रही है इसके लिए निम्नलिखित आवश्यकताएँ बतलाई गई :-

- बैंक खाते में एटीएम कार्ड जारी किया हुआ हो एवं एटीएम कार्ड से लेन-देन हो रहे हो.
- आधार कार्ड बैंक खातें में सीडेड हो एवं खाताधारक को AEPS लेन-देन के बारे में जानकारी हो.
- उन्होने बताया कि लगभग 1.50 करोड़ बैंक खाताधारकों के नाम एवं खाता संख्या सहित सूचना उनके विभाग द्वारा सभी संबन्धित बैंकों से साझा कर दी जावेगी. इसके लिए उक्त बैंक खातों की सूचना यथा खाताधारक को एटीएम जारी किया हुआ है अथवा नहीं, एटीएम कार्ड से लेन-देन किए

हुए है अथवा नहीं, आधार कार्ड सिडेड है अथवा नही तथा AEPS के द्वारा लेन-देन किया गया है अथवा नहीं इत्यादि की जानकारी राजस्थान सरकार को उपलब्ध करवाने हेतु बैंकों से अनुरोध किया.

इस संबंध में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार से खाताधारकों के नाम एवं खाता संख्या सहित अन्य सूचना सभी संबन्धित बैंकों से साझा करने हेतु अनुरोध है.

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार एवं समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>अन्य कार्यवाही बिन्दु</u>

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आरसेटी संस्थानों के द्वारा वर्ष 2017-18 में प्रोजेक्ट लाइफ मनरेगा के अंतर्गत दिनांक 30.09.2017 तक 31328 कामगारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के संशोधित लक्ष्य के सापेक्ष 5982 कामगारों को प्रशिक्षण दिया गया है. इस प्रकार लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि 19.09% रही है. इस संबंध में राज्य सरकार से अनुरोध किया कि प्रशिक्षण के लिए चिन्हित/इच्छुक लाइफ मनरेगा कामगारों का identification एवं sponsoring जिला प्रशासन द्वारा करवाकर सभी आरसेटी संस्थानों को उपलब्ध करवाया जायें.

राज्य निदेशक, आरसेटी ने बताया कि आरसेटी संस्थानों द्वारा कामगारों को प्रशिक्षण देने हेतु नियमित प्रयास किये जा रहे है लेकिन राज्य सरकार से प्रशिक्षण के लिए चिन्हित/इच्छुक लाइफ मनरेगा कामगारों का identification एवं sponsoring जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा है. इस संबंध में राज्य सरकार से अनुरोध किया कि जिला प्रशासन को समुचित निर्देश प्रदान करें कि चिन्हित/इच्छुक लाइफ मनरेगा कामगारों का identification एवं sponsoring कर आरसेटी संस्थानों को उपलब्ध करवाएं.

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार एवं स्टेट आरसेटी निदेशक, राजस्थान)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 134 वीं बैठक में महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि राज्य में कुछ आरसेटी द्वारा प्रशिक्षणार्थियों का क्रेडिट लिंकेंज 100% है. इसको देखते हुए आरसेटी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने से पूर्व अनुसंधान की आवश्यकता है. इस संबंध में राज्य में कार्यरत आर सेटी प्रायोजित बैंक नियंत्रकों ने अनुपालना हेतु नोट किए जाने से सूचित किया है.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 134 वीं बैठक में महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि अन्य राज्यों में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की एमएसएमई की उपसमिति बनाई हुई है उसी तर्ज पर राजस्थान में भी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की एमएसएमई की

उपसमिति बनाने की आवश्यकता है. इस संबंध में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की उपसमिति (एमएसएमई) की प्रथम बैठक दिनांक 01.12.2017 को आयोजित की गयी है.

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की एमएसएमई की उपसमिति बनाने एवं उनके सुझाव पर तुरंत कार्यवाही करने के लिए एसएलबीसी को धन्यवाद दिया. साथ ही उन्होने उक्त उपसमिति को थोड़ा छोटा करने की सलाह दी एवं उक्त समिति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सिड्बी, लीड बैंक एवं कुछ बड़े बैंकों को सदस्य बनाने का सुझाव दिया. साथ ही उन्होने कहा कि उक्त उपसमिति बैठक में विभिन्न कलस्टर के एमएसएमई उद्यमियों एवं अन्य उद्योगों के प्रतिनिधियों यथा ऑइल उद्योग, मार्बल उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग इत्यादि को आमंत्रित करने का सुझाव दिया ताकि उन उद्योगों को संचालित करने में आ रही परेशानियों को शीघ्र निस्तारण करने हेतु कार्यवाही की जा सकें.

(कार्यवाही: एसएलबीसी, राजस्थान)

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि क्षेत्रीय आवश्यकता या भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आरसेटी के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता बतलाई. साथ ही स्टेट निदेशक, आरसेटी को निर्देश दिए कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं का अनुसंधान कर ही आरसेटी के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जांवें.

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने क्षेत्रीय आवश्यकताओं का अनुसंधान करने हेतु जिला स्तर पर कमेटी गठित करने का सुझाव दिया एवं एलडीएम, डीडीएम, आरसेटी निदेशक एवं जिले के प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधियों को उक्त कमेटी के सदस्य बनाने की सलाह दी.

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक, राजस्थान)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 134 वीं बैठक में स्टेट आरसेटी निदेशक, राजस्थान ने बताया कि आरसेटी से प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों के मुद्रा एवं स्टेंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत ऋण आवेदन पत्रों को बैंक शाखाओं द्वारा बिना कारण अस्वीकृत कर लौटा दिया जाता है एवं शाखाओं द्वारा लाभार्थी को बताया जाता है कि स्टेंड अप इंडिया योजना के तहत उनको आवेदन प्राप्त नहीं हुए है. इस संबंध में बैंक नियंत्रकों द्वारा शाखाओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाने हेतु अनुपालनार्थ नोट किए जाने से सूचित किया गया है.

शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत ऋण आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु ऑनलाइन रूप रेखा बनाने एवं आवेदक को ऋण देने में अनावश्यक परेशान नहीं करने के लिए बैंक शाखाओं को निर्देश दिए जाने हेतु बैंक नियंत्रकों को निर्देश प्रदान किए.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत ऋण आवेदन प्रस्तुत करने से लेकर ऋण आवेदन पत्रों के निस्तारण तक की अद्यतन स्थिति की जानकारी हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा ऑनलाइन वेब-पोर्टल विकसित किया जा रहा है.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समस्त बैंक नियंत्रकों को निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए :

- केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों को अनावश्यक/गैर तार्किक कारणो से नही लौटायें जाये, लौटाने से पूर्व उचित कारणों को ऋण आवेदन पर अकिंत किए जाने हेतु बैंक शाखाओं को निर्देशित करें.
- भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों/सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए निर्धारित समयावधि में ही केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनांतर्गत आवेदन पत्र को निस्तारित करने हेतु शाखाओं को निर्देशित करें.

<u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना</u>

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि चुरू जिले में रबी 2013-14 के बीमा क्लेम के प्रकरण के निस्तारण हेतु निदेशक, कृषि, राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 15.12.2016 में लिये गये निर्णय के अनुसार क्लेम के अंतर की राशि रू 1.29 करोड़ का 50:50 प्रतिशत भुगतान आईसीआईसीआई लोम्बार्ड व पंजाब नेशनल बैंक, श्रीगंगानगर द्वारा भुगतान किया जाना तय हुआ है जिसमें से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड द्वारा अंतर की राशि का भुगतान किया जा चुका है एवं पंजाब नेशनल बैंक से अपेक्षित कार्यवाही प्रतीक्षित है.

साथ ही उन्होने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (Erstwhile SBBJ) शाखा चुरू ने संशोधित घोषणा पत्र बीमा कंपनी को प्रेषित कर दिये है तथा संबन्धित बीमा कंपनी से कार्यवाही प्रतीक्षित है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (Erstwhile SBBJ) एवं बीआरकेजीबी के चुरू जिले के संशोधित क्लेम एवं पूर्व के वर्षों में कवर किये गये फसल बीमा में कृषकों का आधिक्य प्रीमियम (Excess Premium) का भुगतान बीमा कंपनियों से वापस दिलवाने एवं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को दिये गये निर्देश की अनुपालना करवाने हेतु कृषि विभाग के स्तर से कार्यवाही किये जाने का अनुरोध है.

संयुक्त निदेशक, फसल बीमा, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने क्लेम के अंतर की राशि रू 1.29 करोड़ का 50 प्रतिशत भुगतान करने हेतु नियंत्रक, पंजाब नेशनल बैंक से अनुरोध किया.

प्रतिनिधि, पंजाब नेशनल बैंक ने बताया कि इस संबंध में भुगतान करने का दायित्व बीमा कंपनी का है एवं उक्त भुगतान संबन्धित कृषकों को करने के लिए असमर्थता जाहीर की.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि उक्त प्रकरण में दायित्व संबंधी निर्णय एसएलबीसी स्तर से नहीं लिया जा सकता है अतः उक्त प्रकरण को सीधे ही प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें.

शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा, राजस्थान सरकार ने बताया कि राज्य के विभिन्न गांवों को अभावग्रस्त (बाढ़ एवं सूखे के कारण) घोषित किया गया है. उन गांवों में राजस्थान सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगो को Agri Input subsidy प्रदान की जाएगी. जो कि लगभग राशि रू 1000 करोड़ होगी और वह कृषकों के खातों में सीधे ही स्थानांतरित की जावेगी. संबन्धित जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा कृषकों के खातों से संबन्धित सूचनाएं यथा Inoperative a/c, correct a/c details इत्यादि एकत्रित की जा रही है. साथ ही उन्होने बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया कि अपनी बैंक शाखाओं को निर्देश प्रदान करें कि जिन कृषकों के सेविंग बैंक खाते खुले हुए नहीं है उन कृषकों के खाते शीघ्र खोलें जाएं.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक मौसम आधारित फसल बीमा योजना व संशोधित राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के तहत लाभान्वित कृषकों की सूचना उपलब्ध करवाने हेतु पत्रों से अनुरोध किया गया है. साथ ही संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक मौसम आधारित फसल बीमा योजना व संशोधित राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के तहत लाभान्वित कृषकों की सूचना उपलब्ध करवाने के लिए बैंकों के पास कोई सिस्टम विकसित नहीं होने के कारण सूचना उपलब्ध करवाने में परेशानी आ रही है. अतः उन्होने कृषि विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि इस संबंध में छूट प्रदान करने का श्रम करें.

संयुक्त निदेशक, फसल बीमा, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि उक्त सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा नियमित रूप से मांगी जा रही है अतः इस संबंध कोई भी छूट प्रदान करने में असमर्थता जाहीर की.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समस्त बैंक नियंत्रकों से वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक मौसम आधारित फसल बीमा योजना व संशोधित राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के तहत लाभान्वित कृषकों की सूचना उपलब्ध करवाने हेतु पुनः अनुरोध किया.

(कार्यवाही: समस्त नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>स्वयं सहायता समूह एवं सरकार प्रायोजित योजनाओं में प्रगति</u>

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बैंकों में SGSY योजना के अनुदान की लगभग राशि रू 15 करोड़ बैंकों के पास खातों में पिछले 4 वर्षों से अवशेष है जिसमें से केवल राशि रू 2 करोड़ ही विभाग को प्राप्त हुई है. विभाग द्वारा बैंक शाखावार सूचना उपलब्ध करवाने एवं एसएलबीसी से अनुवर्तन

की कार्यवाही के पश्चात भी राज्य सरकार को उक्त राशि वापस नहीं लौटाई गई है. समस्त बैंक नियंत्रकों से उनकी शाखाओं में सरकार के खातों को चिन्हित करने एवं राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ अवशेष राशि राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने का पुनः अनुरोध किया.

साथ ही ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से SGSY योजना के अनुदान की अवशेष राशि की बैंकवार/शाखावार अद्यतन सूचना उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया.

प्रतिनिधि, राजीविका ने SGSY योजना के अनुदान की अवशेष राशि की बैंकवार/शाखावार अद्यतन सूचना शीघ्र उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने दिनांक 01.12.2017 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उपसमिति (केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम) बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत वर्ष 2016-17 में मार्जिन मनी क्लेम के लिए लंबित आवेदन पत्रों को ऑनलाइन पोर्टल पर शीघ्र निस्तारण के लिए समस्त बैंक नियंत्रकों को शाखाओं को निर्देशित करने हेतु अनुरोध किया गया.

अति. निदेशक, उद्योग, राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत लक्ष्यों के सापेक्ष भारतीय स्टेट बैंक की प्रगति अच्छी नहीं होने से सूचित किया एवं बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थिति संतोषजनक होने से सूचित किया. उन्होने समस्त नियंत्रक सदस्य बैंकों को लक्ष्यों के सापेक्ष की स्थिति खराब होने के चलते लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने हेतु बैंक शाखाओं को निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया.

साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत वर्ष 2016-17 व वर्ष 2017-18 में मार्जिन मनी क्लेम के लिए लंबित आवेदन पत्रों की ऑनलाइन पोर्टल पर शीघ्र निस्तारण हेतु बैंक शाखाओं को निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया.

(कार्यवाही: समस्त नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने केंद्र एवं राज्य सरकार से प्रायोजित योजनाओं की नोडल एजेंसी से दिनांक 07.12.2017 को समन्वय बैठक आयोजित कर योजनांतर्गत लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया.

महापंजीयक, मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग, राजस्थान सरकार ने निम्नानुसार सदन को अवगत करवाया :

- ऑनलाइन कृषि भूमि रहननामा के लिए राज्य के समस्त 33 जिलों के अग्रणी जिला प्रबन्धकों के user id एवं पासवर्ड उपलब्ध करवा दिए गए है एवं उन्होने सभी बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया

कि बैंक शाखाओं को निर्देशित करें कि ऑनलाइन कृषि भूमि रहननामा को उप पंजीयक कार्यालय को प्रस्तुत करने की कार्यवाही प्रारम्भ करें.

- बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋण के संबंध में निष्पादित किये जाने वाले दस्तावेज़ की मार्च 2017 तक की सूचना उनके विभाग को प्राप्त हो चुकी है एवं इससे आगे की सूचना उपलब्ध करवाने हेतु समस्त बैंक नियंत्रकों को निर्देश प्रदान किए.

- राज्य के समस्त एसआर कार्यालय ऑनलाइन हो चूके है एवं गत दो वर्षों के आंकड़े भी ऑनलाइन किये जा चूके है .

- जिन प्रकरण में पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी दूसरे राज्य में पंजीकृत है लेकिन उनके दस्तावेज़ राजस्थान में बंधक किये जा रहे है. इससे राजस्थान सरकार को राजस्व की हानि हो रही है इस संबंध में बैंकों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु बैंक शाखाओं को निर्देशित करने के लिए अनुरोध किया.

- ऑनलाइन कृषि भूमि रहननामा की तर्ज पर अब आवास ऋण से संबन्धित दस्तावेजों को भी ऑनलाइन रहननामा के लिए तैयारी की जा रही है.

- एटीएम परिसर जिनकी लीज डीड पंजीकृत नहीं है इनका विवरण मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग, राजस्थान सरकार को उपलब्ध करवाने के लिए बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया.

(कार्यवाही: समस्त नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने ऑनलाइन कृषि भूमि रहननामा नहीं होने की स्थिति में उप पंजीयक कार्यालय द्वारा हार्ड कॉपी में भी रहननामा स्वीकार करने हेतु पंजीयक कार्यालय को निर्देशित करने हेतु अनुरोध किया. उन्होने बताया कि जिला बांसवाड़ा में किन्ही कारणों से ऑनलाइन कृषि भूमि रहननामा नहीं होने पर कृषकों को कृषि ऋण प्रदान करने में बैंक शाखाओं को परेशानी आ रही है.

<u>प्रधानमंत्री जनधन योजना</u>

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में PMJDY के तहत खोले गए खातों में दिनांक 30.09.2017 तक RUPAY कार्ड जारी 77.3%, रूपे कार्ड एक्टिवेशन 43.13% तथा आधार सीडिंग 79.19% है एवं वित्तीय सेवाएँ, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार PMJDY के तहत खोले गये खातों में आधार सीडिंग एवं आधार authentication का कार्य 31.12.2017 तक पूर्ण किया जाना है. इस संबंध में सभी बैंकों से अनुरोध किया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार 100% लक्ष्य को प्राप्त करने की कार्ययोजना पर बैंक कार्य करें तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा PMSBY एवं PMJJBY में लंबित क्लेम की सूचना नियमित रूप से एसएलबीसी को उपलब्ध करवाने हेतु नोडल बीमा कंपनी से अनुरोध किया.

संयुक्त सचिव, संस्थागत वित्त, राजस्थान सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए छात्रों के खातों में राशि रू 50,000/- से अधिक की छात्रवृति होने पर खातों में जमा न होकर रिटर्न हो जाती है. इस संबंध बैंक नियंत्रकों से उक्त खातों में राशि रू 50,000/- से अधिक की छात्रवृति होने पर भी जमा किये जाने की कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार लघु बचत खाते खोले गए जो कि ग्राहक की घोषणा के आधार पर खोले जाते है एवं उक्त खातों में केवाईसी पूर्ण होने पर सामान्य बचत खाते में परिवर्तित हो जाएगा जिससे उक्त समस्या की हल हो जाएगा.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि अटल पेंशन योजना के तहत जूलाई 2017 तक कुल लक्ष्य 1585080 के सापेक्ष में 280034 उपलब्धि रही है जो लक्ष्य का 17.67% है. अटल पेंशन योजना को बढ़ावा देने के लिए PFRDA द्वारा 3 राज्यों यथा मध्यप्रदेश, बिहार एवं राजस्थान में "People First Campaign" दिनांक 20.11.2017 से 30.11.2017 तक आयोजित किया गया. इस अभियान की प्रगति PFRDA से प्राप्त होना प्रतीक्षित है.

<u>मुद्रा एवं स्टेण्ड अप इण्डिया योजना (PMMY/SUI)</u>

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि स्टेण्ड अप इण्डिया योजना के प्रभावी रूप से क्रियान्विति हेतु राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति के गठन के आदेश राज्य सरकार ने दिनांक 22.08.2016 को जारी कर दिये हैं. समिति में सदस्य के रूप में दो विधायकों जिनमें एक अनुसूचित जाति/अनूसूचित जन जाति श्रेणी एवं एक महिला का नाम मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा नामित किया जाना प्रतीक्षित है. इस संबंध में संयुक्त शासन सचिव (सं वि.) आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने पत्रांक एफ.25(1)/आयो/सं.वि./2017 दिनांक 10.05.2017 से सूचित किया हैं कि माननीय विधायकों के नामांकन हेतु पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय में विचाराधीन है. फलस्वरूप समिति की प्रथम बैठक भी बहुप्रतीक्षित है.

महाप्रबंधक, एससी/एसटी कॉर्पोरेशन, राजस्थान सरकार ने बताया कि एससी/एसटी पॉप योजना के लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि केवल 10% है. उन्होने बताया विभिन्न बैंक शाखाओं में योजनान्तर्गत बहुत बड़ी मात्रा में आवेदन पत्र लंबित है जिसकी बैंकवार/शाखावार सूचना शीघ्र उपलब्ध करवा दी जाएगी एवं शाखाओं द्वारा रोजगार हेतु पर्याप्त ऋण राशि प्रदान नहीं की जा रही है. साथ ही उन्होने समस्त बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया कि योजनान्तर्गत लंबित आवेदन पत्रों का शीघ्र निस्तारण करते हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं हेतु शाखाओं को निर्देशित करें.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने समस्त बैंक नियंत्रकों को निर्देश दिए कि रोजगार हेतु पर्याप्त ऋण राशि प्रदान करे.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि दिनांक 31.03.2017 तक स्टेंड अप इंडिया योजना के तहत 1638 व्यक्तियों को राशि रू 312.67 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए है एवं दिनांक 31.10.2017 तक योजनान्तर्गत 2339 व्यक्तियों को राशि रू 478.27 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए जा चुके है. राज्य में कुछ बैंकों की प्रगति बहुत अच्छी है एवं कुछ बैंकों की प्रगति बहुत खराब है. शाखाओं द्वारा स्टेंड अप इंडिया योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत किया हो लेकिन पोर्टल पर रिपोर्टिंग नहीं की जा रही हो इस संबंध में बैंक नियंत्रकों से जांच करने हेतु अनुरोध किया. साथ ही उन्होने मुद्रा एवं स्टेंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करने का अनुरोध किया.

उपमहाप्रबंधक, सिड्बी ने बताया कि राज्य में स्टेंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक एवं आंध्रा बैंक की लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि संतोषजनक है एवं अन्य बैंक नियंत्रकों से योजनांतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बैंक शाखाओं को निर्देशित करने हेतु अनुरोध किया.

<u>प्रधानमंत्री आवास योजना</u> (PMAY- CLSS)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि विभिन्न बैंक नियंत्रकों ने बैंक शाखाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी उपलब्ध करवाने से सूचित किया है एवं बैंकों से प्राप्त सूचना के आधार पर राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के सीएलएसएस में राजस्थान में सितम्बर 2017 तक 1539 इकाइयों को राशि रू 14.17 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया है तथा हुड़को (HUDCO) द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के सीएलएसएस में राजस्थान में सितम्बर 2017 तक 695 इकाइयों को राशि रू 2.2 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया है.

प्रतिनिधि, राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नवीनतम परिपत्र उनके द्वारा प्रेषित किए जाएंगे. इन परिपत्रों को आगामी एसएलबीसी बैठक के एजेंडा में प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया. साथ ही उन्होने बैंकों से प्राप्त आकड़े एवं उनके विभाग के आकड़ों में विचलन की स्थिति में योजनांतर्गत प्रगति के बैंकवार आकडे उनके विभाग द्वारा भी प्रेषित किये जायेंगे.

<u>Chief Minister Skill Loan Scheme</u>

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आईबीए से अनुमोदित स्किल लोन स्कीम को राज्य सरकार ने Chief Minister Skill Loan Scheme के नाम से योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रारम्भ की जा रही है. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व संबन्धित विभाग योजना से योजनांतर्गत ब्याज अनुदान के क्लेम के प्रपत्र एवं पद्दति प्रक्रिया उपलब्ध करवाने हेतु पुनः अनुरोध किया.

<u>लीड बैंक स्कीम</u>

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक ने उनके बैंक के जिला समन्वयकों को अग्रणी जिला प्रबन्धकों को सूचना समय पर उपलब्ध करवाने एवं जिला स्तरीय/ब्लॉक स्तरीय बैठकों में सहभागिता करने के लिए निर्देशित करने हेतु सूचित किया है.

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि अभी भी जिलों में जिला समन्वयकों द्वारा अग्रणी जिला प्रबन्धकों को सूचना समय पर उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है एवं उनके द्वारा जिला स्तरीय/ब्लॉक स्तरीय बैठकों में भी सहभागिता नहीं की जा रही है. जिसमें से चुरू एवं जैसलमेर जिले में समस्या अधिक है. उन्होने इस संबंध में उनके द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी समस्या बरकरार रहने पर खेद व्यक्त करते हुए नियंत्रक, भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिये कि जिला समन्वयकों/ ब्लॉक समन्वयकों के नाम की सूची अभी भी उनके कार्यालय को प्रेषित नहीं की है अतः जिला समन्वयकों/ ब्लॉक समन्वयकों के नाम की सूची उनके कार्यालय एवं अग्रणी जिला प्रबन्धकों से साझा कर दे ताकि भविष्य में इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

साथ ही उन्होने अग्रणी जिला प्रबन्धक के रिटायर्ड होने की स्थिति में शीघ्र नए अग्रणी जिला प्रबन्धक की नियुक्ति किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 134 वीं बैठक में महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया था कि जिला कलेक्टर कार्यालय से शिकायते प्राप्त हो रही है कि जिला स्तरीय/ब्लॉक स्तरीय बैठकों में निजी क्षेत्र के बैंकों के कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा बिना तैयारी के साथ सहभागिता की जाती है जो कि कतिपय सही नहीं हैं. जिसके लिए डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. इस संबंध में आईसीआईसीआई बैंक एवं एक्सिस बैंक ने उनके बैंक के जिला समन्वयक को वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को पूर्ण तैयारी के साथ जिला स्तरीय/ब्लॉक स्तरीय बैठकों में सहभागिता करने हेतु निर्देशित करने से सूचित किया गया है.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 134 वीं बैठक में महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया था कि अग्रणी जिला प्रबन्धकों के द्वारा डीएलआरसी बैठक एवं डीसीसी बैठक दोनों ही एक साथ आयोजित कर दी जाती है जो कि सही नहीं है. भविष्य में उक्त बैठके अलग-अलग तिथि पर आयोजित किये जाने एवं कलेंडर के अनुसार निर्धारित तिथि पर ही बैठक आयोजित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए. साथ ही उन्होने सभी बैंक नियंत्रकों को निर्देश दिए कि जिला समन्वयकों को निर्देश प्रदान करें कि अग्रणी जिला प्रबन्धकों को नियत समयावधि में तथा सही आकड़ों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करें एवं इस संबंध में जिला समन्वयकों की जवाबदेही भी तय करें. इस संबंध में एसएलबीसी कार्यालय के पत्रांक रा.अ./ एस.एल.बी.सी./लीडबैंक/2017-18/1465 दिनांक 10.11.2017 के

माध्यम से अग्रणी जिला प्रबन्धकों को डीएलआरसी बैठक एवं डीसीसी बैठक दोनों अलग- अलग आयोजित करने हेतु निर्देशित कर दिए जाने से सूचित किया.

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि राज्य में कुछ अग्रणी जिला प्रबन्धकों के द्वारा डीएलआरसी बैठक एवं डीसीसी बैठक दोनों ही अलग अलग आयोजित करने के निर्देशों की अनुपालना करना आरंभ कर दिया गया है. उन्होने डीसीसी संयोजक बैंकों के सभी नियंत्रक पुनः निर्देश दिए कि उनके बैंक के अग्रणी जिला प्रबन्धकों को डीएलआरसी बैठक एवं डीसीसी बैठक दोनों ही अलग अलग आयोजित करने के निर्देश प्रदान करें.

<u>अन्य कार्यवाही बिन्दु</u>

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि विभिन्न बैंकों द्वारा सूचित किया गया कि बीसी एवं LSPs के कमीशन का अलग-अलग TDS काटा जाता है. साथ ही सूचित किया गया कि वक्रांगी एलएसपी द्वारा बीसी को उनकी कंपनी के उत्पाद बेचने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है. यदि बीसी ने वक्रांगी से किसी अन्य तरह की सेवाओं के लिए भी करार कर रखा है तो केवल उसी परिस्थिति में बीसी को अन्य उत्पादो को बेचने हेतु कहा जाता है.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बैंक द्वारा शाखा परिसर के बाहर प्रदर्शित विज्ञापनों की सूची पट्ट एवं विज्ञापन शुल्क देने बाबत नगर निगम कार्यालय, जयपुर ने बैंकों को नगर निगम सीमा में प्रदर्शित विज्ञापन जो उपविधियों के अनुसार 4 फिट चौड़ाई एवं अधिकतम 50 फिट लंबाई सीमा में है उन विज्ञापनों पर वित्तीय वर्ष हेतु प्रचलित दर @237.59 प्रति वर्ग फिट से भुगतान करने हेतु निर्देशित किया है एवं उक्त राशि जमा नहीं होने करने की स्थिति में विज्ञापन हटाने का हर्जा खर्चा भी बैंक से वसूल करने से सूचित किया है. जनसुविधा एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए शाखा परिसर के बाहर प्रदर्शित विज्ञापन के कारण बैंकों पर प्रभारित विज्ञापन शुल्क से राहत प्रदान करने हेतु राजस्थान सरकार से अनुरोध किया. इस संबंध में एसएलबीसी कार्यालय के पत्रांक ज.अ./ एस.एल.बी.सी./रा.सरकार./ 2017-18/1469 दिनांक 10.11.2017 के माध्यम से प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को जनसुविधा एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए बैंक शाखा परिसर के बाहर लगे हुए Glow Sign Board के कारण बैंकों पर प्रभारित किये गये विज्ञापन शुल्क से राहत प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है.

(कार्यवाही: स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

संयुक्त सचिव, संस्थागत वित्त, राजस्थान सरकार ने उक्त प्रकरण के निस्तारण के लिए स्वायत्त शासन विभाग के साथ विशेष बैठक आयोजित करने का आश्वासन दिया.

एजेण्डा क्रमांक - 2

Social Banking parameters & Annual Credit Plan

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि शाखा विस्तार: 30 सितम्बर 2017 तक राज्य में कुल 7,490 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में सितम्बर तिमाही तक बैंकों द्वारा कुल 22 शाखाएं खोली गयी हैं एवं 50 शाखाएं बंद की गयी है जिसमें से प्रमुख रूप से एसबीआई एवं इसके सहयोगी बैंकों के विलय के पश्चात शाखाएं बंद की स्थिति के कारण उत्पन्न हुई है.

जमाएँ व अग्रिम: 30 सितम्बर 2017 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 13.08% के साथ कुल जमाएँ रूपये 3,33,975 करोड़ तथा कुल अग्रिम वर्ष दर वर्ष वृद्धि 11.81 % के साथ कुल ऋण रूपये 2,50,621 करोड़ रहे हैं. जमाओं में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की क्रमशः 13.57%, 16.84% एवं सहकारी बैंकों की वर्ष दर वर्ष नकारात्मक वृद्धि 1.70% रही तथा अग्रिमों में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं को-ऑपरेटिव बैंकों में वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः 12.44%, 11.46% एवं 03.98% रही. साथ ही उन्होने बताया कि साख जमा अनुपात प्रदर्शन की निगरानी हेतु अग्रणी जिला प्रबन्धक के संयोजन में DCC की विशेष उप समिति का गठन कर लिया गया है.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 30 सितंबर, 2017 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 14.28% के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 1,76,066 करोड़ रू रहा है.

कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 30 सितंबर, 2017 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 10.63% के साथ कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 93,812 करोड़ रहा है.

सूक्ष्म व लघु उद्यम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण: 30 सितम्बर 2017 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 18.75% के साथ सूक्ष्म व लघु उपक्रम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 82,254 करोड़ रहा है.

कमजोर वर्ग को ऋण: 30 सितम्बर 2017 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 8.18% के साथ कमजोर वर्ग को प्रदत्त ऋण रूपये 57,131 करोड़ रहा है.

अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण: 30 जून 2017 को राज्य में वर्ष दर वर्ष नकारात्मक वृद्धि 6.02% के साथ अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण रूपये 12,180 करोड़ रहा है.

राज्य में **कुल अग्रिमों** का **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** को अग्रिम 70.25%, **कृषि क्षेत्र** को 37.43%, कमजोर वर्ग को 22.80%, **लघु एवं सूक्ष्म कृषकों** को 15.59% तथा **सूक्ष्म उपक्रमों** को 09.71% रहा है. उपरोक्त सभी मानदण्डों में बकाया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बैंचमार्क से ऊपर रहे हैं.

साख जमा अनुपात (CD Ratio): 30 सितंबर 2017 को राज्य में साख जमा अनुपात 77.24% रहा है. 30 सितंबर 2017 को डुंगरपुर एवं सिरोही में CD Ratio क्रमशः 35.17%, एवं 38.54% रहा है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित बेंच मार्क 40% से कम है.

वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति: वर्ष 2017-18 हेतु वार्षिक साख योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में द्वितीय तिमाही तक की उपलब्धि 39.19% रही है. कृषि में 36.29%, सूक्ष्म व लघु उघम क्षेत्र में 60.99% एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 25.58% की उपलब्धि दर्ज की गई है एवं वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष प्रथम तिमाही में वाणिज्यिक बैंकों ने 41.93%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 41.37% तथा को-ऑपरेटिव बैंक ने 29.96% की उपलब्धि दर्ज की है.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन को नजदीकी राज्य हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के 30 सितम्बर 2017 के साख जमा अनुपात (CD Ratio), वार्षिक साख योजना में उपलब्धियों के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किये. तुलनात्मक आंकड़ों में राजस्थान राज्य की प्रगति को बेहद संतोषप्रद पाया गया.

एजेण्डा क्रमांक - 3

Preparation of Financial Inclusion Plan (FIP) - 2016-19

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन प्लान "अप्रैल 2016 से मार्च 2019" केवल 13 बैंकों द्वारा ही एसएलबीसी को प्रस्तुत किया गया है. साथ ही उन्होने भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया कि बैंकों के कॉर्पोरेट/ प्रधान कार्यालय द्वारा txt format में यह डेटा भारतीय रिजर्व बैंक की Dataware House Website पर सीधे ही अद्यतित करवाने की कार्यवाही करें.

Roadmap for coverage of villages having population above 5000 (As per census 2011)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित 171 गॉवों में से 30 अक्टूबर, 2017 तक केवल 42 गॉवों में बैंक शाखाएं खोली जा चुकी हैं.

<u>प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में PMJDY के तहत खोले गए खातों में दिनांक 30.09.2017 तक RUPAY कार्ड एक्टिवेशन 43.13% तथा आधार सीडिंग 79.19% है एवं वित्तीय सेवाएँ, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार PMJDY के तहत खोले गये खातों में आधार सीडिंग का कार्य 31.12.2017 तक पूर्ण किया जाना है.

इस हेतु सभी बैंकों से अनुरोध किया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार 100% लक्ष्य को प्राप्त करने की कार्ययोजना पर बैंक कार्य करें.

उन्होने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा PMSBY एवं PMJJBY में लंबित क्लेम की सूचना नियमित रूप से एसएलबीसी को उपलब्ध करवाने हेतु नोडल बीमा कंपनी से अनुरोध किया.

(कार्यवाही: बीमा कंपनीयां, राजस्थान एवं नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने बताया कि PMJJBY में नामांकन PMSBY की तुलना में बहुत ही कम है. उन्होने बैंक नियंत्रकों को निर्देश प्रदान किए कि PMSBY के तहत शाखा के समस्त पात्र ग्राहकों को 100% कवरेज करें ताकि गरीब लोगो को यथोचित लाभ मिल सकें.

(कार्यवाही: समस्त नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>Spread of Financial Literacy in ITIs, Skilling Centre</u>

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समग्र वित्तीय समावेशन को आगे ले जाने के लिए वित्तीय साक्षरता की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बतलाया कि वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (FLCs) एवं बैंक शाखाओं के माध्यम से सरकारी व गैर सरकारी ITIs, वोकेशनल ट्रेनिंग कार्यक्रम केंद्र (VTPs) और ऑपरेशनल केंद्र (OCs) जैसे कौशल विकास केन्द्रों में वित्तीय साक्षरता का प्रसार करने पर जोर दिया जा रहा है. 30 सितंबर 2017 तक 1775 केन्द्रों में 64230 विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता से लाभान्वित कर 62623 विद्यार्थियों को साक्षरता सामग्री उपलब्ध करवाए जाने की जानकारी दी.

<u>NABARD Guidelines regarding Installation of regarding Solar powered V-SAT for connectivity to Kiosk/ Fixed CSP in the SSA- Support under FIF</u>

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि कनेक्टिविटी की समस्या के समाधान हेतु सौर उर्जा चालित वी-सैट (V-SAT) स्थापित करने के लिए 6 बैंकों को 820 स्थानों के लिए नाबार्ड से वित्तीय सहायता की सैद्धांतिक मंजूरी/स्वीकृति दी गयी है एवं 30 सितंबर, 2017 तक बैंकों के द्वारा 219 स्थानों पर सौर उर्जा चालित वी-सैट (V-SAT) स्थापित करने से सूचित किया है. इस संबंध में बैंकों से अनुरोध

किया कि वी-सेट स्थापित कर राशि के पुनर्भरण हेतु 31 दिसम्बर, 2017 तक दावा नाबार्ड को प्रस्तुत करें तथा इस हेतु वांछित प्रमाण पत्र एसएलबीसी से पूर्व में प्राप्त कर लें.

(कार्यवाही: संबन्धित नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

To initiate the financial literacy programme for school children, with a special focus on female students of class 9 and 10 in the state

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के तहत 5083 विद्यालयों का मानचित्रण (Mapping) कर 3372 विद्यालयों में साक्षरता कार्यक्रम किये गये हैं. इन कार्यक्रमों में 234863 विद्यार्थियों ने भाग लिया है तथा 219393 विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता सामग्री भी उपलब्ध करवायी गयी है.

Support from Financial Inclusion Fund (FIF) Deployment of PoS Terminals in Tier 5 and Tier 6 Centres

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के तहत राज्य में 10000 से कम आबादी वाले गावों में कम से कम 2 PoS मशीन की स्थापित करने का लक्ष्य है इस संबंध में 10393 गांवों में 14300 PoS मशीनों की स्थापना के लिए नाबार्ड ने 8.58 करोड़ रू की लागत पुनर्भरण की सैद्धांतिक मंजूरी दी है तथा बैंकों द्वारा 431 गांवों में 578 PoS स्थापित की गयी है.

(कार्यवाही: क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, राजस्थान)

Installation of ATMs at Gram Panchayat level

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि अतिरिक्त निदेशक, सूचना, प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर एटीएम स्थापना करने पर राज्य सरकार द्वारा अपफ्रंट लागत (Upfront Cost) साझा करने के प्रस्ताव के संबंध में केवल आईसीआईसीआई बैंक ने पहल की है तथा अन्य सभी बैंकों से भी इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

Constitution of State Level Financial Inclusion Committee (SLFIC)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति को अवगत करवाया गया कि वित्तीय समावेशन योजनाओं यथा प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (PMJJBY), अटल पेंशन योजना (APY), तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के कार्यान्वयन/ मॉनिटरिंग हेतु राज्य स्तरीय वित्तीय समावेशन समिति (SLFIC) का गठन किया गया है,

जिसकी चार बैठकों का मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजन किया जा चुका है. सितंबर 2017 तिमाही की बैठक शीघ्र आयोजित करने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया गया.

(कार्यवाही: संस्थागत वित्त विभाग, राजस्थान सरकार एवं एसएलबीसी राजस्थान)

<u>राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति - आरसेटी</u>

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अवगत करवाया कि राज्य स्तरीय समिति, आरसेटी का गठन किया जा चुका है तथा इसकी द्वितीय बैठक दिनांक 27.04.2017 को आयोजित की गयी है

<u>स्टेण्ड अप इण्डिया योजना की राज्य स्तरीय कार्यन्वयन समिति का गठन</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि स्टेण्ड अप इण्डिया योजना के प्रभावी रूप से क्रियान्विति हेतु राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति के गठन के आदेश राज्य सरकार ने दिनांक 22.08.2016 को जारी कर दिये हैं. समिति में सदस्य के रूप में दो विधायकों जिनमें एक अनुसूचित जाति/अनूसूचित जन जाति श्रेणी एवं एक महिला का नाम मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा नामित किया जाना प्रतीक्षित है. समिति की प्रथम बैठक का आयोजन भी उपरोक्त नामांकन के उपरांत किया जाना प्रस्तावित है.

(कार्यवाही: संयुक्त शासन सचिव, संस्थागत वित्त, राजस्थान सरकार)

<u>अटल पेंशन योजना (APY)</u>

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि PFRDA द्वारा दिये गए अटल पेंशन योजना के तहत सितंबर 2017 तक कुल लक्ष्य 468160 के सापेक्ष में 280034 उपलब्धि रही है जो लक्ष्य का 59.82% है. वर्ष 2017-18 के लिए अटल पेंशन योजना के लक्ष्य पूर्व की भांति ही आवंटित किए गये है एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करने एवं बीसी को भी प्रयास करने के लिए प्रेरित करने हेतु समस्त बैंकों से अनुरोध किया. **(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)**

<u>मुद्रा प्रोत्साहन अभियान (Mudra Promotion Campaign)</u>

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार 27 सितम्बर 2017 से 17 अक्टूबर 2017 तक पूरे भारतवर्ष में मुद्रा प्रोत्साहन अभियान चलाया गया. इसके अंतर्गत राजस्थान में जोधपुर में 06 अक्टूबर 2017 एवं 13 अक्टूबर 2017 को जयपुर में मुद्रा प्रोत्साहन शिविर आयोजित किया गया. उक्त समारोह में जिला एवं राज्य प्रशासन के विभिन्न विभागों, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, अग्रणी जिला प्रबन्धक, सिडबी, बैंक एवं बीमा कंपनियों से सक्रिय रूप से सहभागिता करते हुए सफल बनाया. उक्त मुद्रा प्रोत्साहन शिविर में केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न केबिनेट मंत्रीयों के द्वारा भी सहभागिता की गयी.

अन्य कार्यवाही बिन्दु

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बैंक द्वारा प्रदर्शित विज्ञापनों की सूची पट्ट एवं विज्ञापन शुल्क देने बाबत नगर निगम कार्यालय, जयपुर ने बैंकों को नगर निगम सीमा में प्रदर्शित विज्ञापन जो उपविधियों के अनुसार 4 फिट चौड़ाई एवं अधिकतम 50 फिट लंबाई सीमा में है उन विज्ञापनों पर वित्तीय वर्ष हेतु प्रचलित दर @237.59 प्रति वर्ग फिट से भुगतान करने हेतु निर्देशित किया है एवं उक्त राशि जमा नहीं होने करने की स्थिति में विज्ञापन हटाने का हर्जा खर्चा वसूल करने से भी सूचित किया है. इस संबंध में राज्य में कार्यरत बैंकों से एसएलबीसी कार्यालय को विभिन्न पत्र प्राप्त हुये है जिनमें बैंकों ने अवगत करवाया है कि शाखा के बाहर बैंक का नाम एवं शाखा के नाम का Glow Sign Board इसलिए प्रदर्शित किया जाता है ताकि ग्राहक/जनता को सुविधा रहे. उन्होने राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि जनसुविधा एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए बैंकों पर प्रभारित विज्ञापन शुल्क से राहत प्रदान करें.

(कार्यवाही : स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार)

Providing Aadhar Enrollement/updation facility in Bank Premises

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि भारत सरकार के गज़ट नोटिफिकेशन के अनुसार वाणिज्यिक एवं ग्रामीण बैंकों की प्रत्येक दस शाखाओं में से 1 शाखा में Aadhar Enrollement /updation की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए बैंकों को निर्देशित किया गया है. उक्त निर्देशों की अनुपालना में राज्य की वाणिज्यिक एवं ग्रामीण बैंकों की 6934 शाखाओं में से 752 शाखाओं को Aadhar Enrollement/updation की सुविधा के लिए चिन्हित किया गया है. साथ ही उन्होने बताया कि दिनांक 31.12.2017 तक राज्य में समस्त एक्टिव खातों में 100% Aadhar Authetication किया जाना है. इस संबंध में दिनांक 08.09.2017 तक राज्य में समस्त एक्टिव खातों में केवल 23% Aadhar Authetication किया गया है.

Agenda No. 4
Doubling of Farmer's Income by 2022

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बतलाया कि कृषकों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने की माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा की अनुपालना में विभिन्न पैरामीटर के बेंचमार्क नाबार्ड द्वारा निर्धारित कर दिये गए हैं एवं बेंचमार्क पर हुयी प्रगति की समीक्षा के लिए एसएलबीसी की उपसमिति की बैठक दिनांक 30.11.2017 को आयोजित की गयी.

महाप्रबंधक, नाबार्ड ने बताया कि एसएलबीसी की उपसमिति की बैठक में कृषकों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिए विभिन्न पैरामीटर के साथ नाबार्ड द्वारा निर्धारित 10 लक्ष्य बिन्दुओं पर प्रगति

की भी चर्चा की गयी. साथ ही उन्होने बैठक में हुए चर्चा बिन्दुओं पर वरिष्ठ प्रबन्धक, एसएलबीसी को प्रदर्शन (Presentation) देने के लिए आग्रह किया.

वरिष्ठ प्रबन्धक, एसएलबीसी ने कृषकों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिए विभिन्न बिन्दुओं पर प्रदर्शन (Presentation) पर प्रदान किया.

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने कृषकों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने की माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा की अनुपालना में बेंचमार्क पर हुयी प्रगति की समीक्षा के लिए एसएलबीसी की उपसमिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने के लिए संयोजक, एसएलबीसी से आग्रह किया.

(कार्यवाही : राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान)

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि कृषकों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने की माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा की अनुपालना अलग-अलग बिन्दुओं पर अलग अलग मंच पर चर्चा न कर उक्त बिन्दुओं को संकलित कर कार्ययोजना बनाएं एवं उक्त कार्ययोजना पर आगामी डीसीसी/ एसएलबीसी की उपसमिति बैठक में चर्चा करें.

प्रतिनिधि, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि DEEDs योजना के तहत बैंक शाखाएं आवेदन स्वीकार नहीं कर रही है एवं उन्होने समस्त बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया कि शाखाओं को DEEDs योजना के तहत किसानों के आवेदन स्वीकार करने हेतु निर्देशित करें.

महाप्रबंधक, नाबार्ड ने समस्त योजनाओं की बैंकवार/शाखावार लंबित आवेदन पत्रों की सूची एसएलबीसी को प्रेषित करने के लिए अनुरोध किया ताकि संबन्धित बैंक से समन्वय कर उक्त आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जा सके.

<u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)</u>

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2017 के अंतर्गत राज्य पोर्टल पर अद्यतन स्थिति निम्नानुसार अवगत करवाया :-

- KCC वार सृजित पॉलिसी -25,02,068
- फसलवार सृजित पॉलिसी - 55,17,047
- बीमित क्षेत्र - 58.05 लाख हेक्टेयर
- बीमित फसल बीमा राशि रू - 9828.10 करोड़

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि रबी 2017-18 की राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार रबी 2017-18 कृषकों के आकड़े राज्य पोर्टल पर एवं केंद्र सरकार के निर्देशानुसार उक्त आकड़ें राष्ट्रीय पोर्टल पर अद्यतन किया जाना है. इस कारण से बैंकों में आकड़े अद्यतन करने की असमंजस की स्थिति बनी हुयी है. इस संबंध में राज्य पोर्टल पर रबी 2017-18 कृषकों के आकड़े अद्यतन किए जाने की

स्थिति में भारत सरकार से राष्ट्रीय पोर्टल पर आकड़े अद्यतन करने हेतु छूट दिलवाने के लिए कृषि विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया.

संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा रबी 2017-18 के अंतर्गत कृषकों के आकड़े राष्ट्रीय पोर्टल पर अद्यतन करने के लिए भारत सरकार से छूट (Waiver) दिलवाने का आश्वासन दिया.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 1(4)/आ.प्र.एवं सहा./ सामान्य/2017 /8424-44 दिनांक 01.08.2017 के अनुसार खरीफ 2017 में बाढ़ से खराबा होने की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज़ (संस्पेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स) एक्ट, 1952 के तहत राज्य के 4 जिलों यथा पाली, सिरोही, जालौर एवं बाड़मेर में कुल 1290 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है. इस संबंध में संशोधित अधिसूचना के अनुसार राज्य के 5 जिलों में 1746 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है. जिसकी सूचना एसएलबीसी विभाग द्वारा समस्त बैंकों को पूर्व में ही प्रेषित कर दी गयी है.

Strengthening of Negotiable Warehouse Reciepts (NWRs) by WDRA

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति को अवगत करवाया कि NWR के पेटे बैंकों ने वर्ष 2017-18 की द्वितीय तिमाही में 123 इकाईयों को ऋण राशि रू 192.58 करोड़ का वितरण किया है एवं 30 सितंबर 2017 को 328 इकाइयों में ऋण राशि रू 404.92 करोड़ बकाया है.

वसूली (Recovery)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति को अवगत करवाया कि सितंबर 2017 तक सभी बैंकों का कुल NPA 3.84% रहा है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 5.27% एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में 6.19% सकल NPA है एवं बैंकों की गैर-निष्पादित आस्तियों विशेषकर सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के ऋणों में लगातार हो रही वृद्धि की दशा में राज्य सरकार से बैंक ऋण वसूली हेतु समुचित सहयोग हेतु अनुरोध भी किया गया.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राज्य सरकार से राजस्थान कृषि ऋण संक्रिया (कठिनाई का निवारण) अधिनियम, 1974 एवं राजस्थान कृषि साख प्रचलन (कठिनाई एवं निवारण) नियम (रोडा एक्ट), 1976 के प्रावधानों के तहत जिला कलेक्टर्स को राजस्व कर्मचारियों के सहयोग से बकाया बैंक ऋणों की वसूली के लिए प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किये जाने का पुनः अनुरोध किया एवं अग्रणी जिला प्रबन्धकों से अनुरोध किया कि डीसीसी/डीएलआरसी बैठक में राजस्थान कृषि ऋण संक्रिया (कठिनाई का निवारण) अधिनियम, 1974 एवं राजस्थान कृषि साख प्रचलन (कठिनाई एवं निवारण) नियम (रोडा एक्ट), 1976 के प्रावधानों के तहत लंबित आवेदनों के निस्तारण की नियमित रूप से चर्चा करे.

(कार्यवाही: प्रमुख शासन सचिव, आयोजना, राजस्थान सरकार एवं विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

एजेण्डा क्रमांक - 5
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति को अवगत करवाया कि सितंबर 2017 तिमाही तक योजना के तहत 77078 SHGs गठित किए गये हैं तथा 66632 SHGs को बैंक लिंकेज व 27991 SHGs को क्रेडिट लिंकेज किया जा चुका है. इसी क्रम में पिछड़े जिलों यथा बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं झालावाड़ में 7365 SHGs गठित किए गये हैं तथा 7336 SHGs को बैंक लिंकेज व 4443 SHGs को क्रेडिट लिंकेज किया गया है.

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने बताया कि पूरे भारत वर्ष में 9 लाख एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज करने के लक्ष्य के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए राज्य में 44000 एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज का लक्ष्य प्रदान किया गया है लेकिन राज्य में आज दिनांक तक 20000 एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज किया गया है जो कि बहुत कम है. उन्होने समस्त बैंक नियंत्रकों से क्रेडिट लिंकेज के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु शाखाओं को निर्देशित करने के निर्देश प्रदान किए.

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के तहत राज्य में 2732 लाभान्वितों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है एवं 9150 लंबित आवेदन पत्रों को अविलंब निस्तारित करने हेतु बैकों से आग्रह किया गया.

(कार्यवाही: समस्त नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में पीएमईजीपी पोर्टल से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 01.12.2017 तक योजनान्तर्गत 1066 इकाइयों को ऋण स्वीकृत किया गया है एवं राज्य की विभिन्न बैंक शाखाओं में 3727 ऋण आवेदन पत्र लंबित होने से सूचित किया गया. साथ ही भारत सरकार द्वारा राज्य के मार्जिन मनी राशि रू 122.74 करोड़ के संशोधित लक्ष्य के सापेक्ष केवल राशि रू 33.23 करोड़ की उपलब्धि है जो कि 27% उपलब्धि है उन्होने समस्त बैंक नियंत्रकों से लक्ष्य प्राप्ति हेतु शाखाओं को निर्देशित करने हेतु अनुरोध किया.

Special Central Assistance Scheme SC/ST

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति से आग्रह किया कि एससी/एसटी पॉप योजना के 31560 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 2800 प्रार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है जो कि लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 8.87% उपलब्धि है. सभी बैंकों से वर्ष 2017-18 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास के लिए अनुरोध किया.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति को अवगत करवाया कि मुद्रा योजना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लक्ष्य 6395.67 करोड़ रू के सापेक्ष 31 अक्टूबर 2017 तक राशि रू 3,313 करोड़ के ऋण बैंकों ने वितरण कर दिये हैं जो कि 51.80% उपलब्धि रही है.

Credit Assistance given to RSETI trainees under MUDRA Scheme

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बैंकों के पास प्रशिक्षित कर्मियों के 4538 संचयी (Cummulative) ऋण आवेदन पत्र एवं राशि रू 25.37 करोड़ स्वीकृत किये जा चुके है एवं 5245 विचाराधीन ऋण आवेदनों का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण किये जाने का बैंकों से अनुरोध किया.

भामाशाह रोजगार सृजन योजना (BRSY)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि दिनांक 14.11.2017 तक भामाशाह रोजगार सृजन योजना (BRSY) के अंतर्गत राज्य के लक्ष्य 11000 ईकाई को वित्तपोषण करने के रखे हैं एवं बैंक शाखाओं द्वारा 3302 आवेदन पत्रों में ही ऋण स्वीकृति की कार्यवाही की गई है तथा लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि मात्र 30% है. उन्होनें लंबित आवेदन पत्रों का निस्तारण करने हेतु अनुरोध किया.

अति. निदेशक, उद्योग, राजस्थान सरकार ने बताया कि राजस्थान सरकार के संशोधित दिशा-निर्देशानुसार भामाशाह रोजगार सृजन योजनांतर्गत व्यापार व सेवा क्षेत्र उद्यम की स्थापना हेतु अधिकतम राशि रू 10 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र के उद्यम की स्थापना हेतु अधिकतम राशि रू 25 लाख तक के ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा. प्रदत्त ऋण का समय पर चुकता करने पर 8% की दर से ब्याज अनुदान दिया जायेगा. यदि बैंक ऋण पर देय ब्याज दर 8% अथवा उससे कम है तो शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा. योजनांतर्गत लाभ बेरोजगार आवेदक जो भामाशाह योजना में पंजीकृत हो, को ही देय होगा. साथ ही उन्होने अवगत करवाया कि भामाशाह रोजगार सृजन योजना की पात्रता रखने वाले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभान्वितों को भामाशाह रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान से भी लाभान्वित किया जा

सकता है. इसके लिए ब्याज अनुदान क्लेम फार्म संबन्धित जिला उद्योग केंद्र में भिजवाने के लिए बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया.

साथ ही उन्होने योजनांतर्गत लंबित आवेदन पत्रों को निस्तारण करने हेतु शाखाओं को निर्देशित करने हेतु बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

स्टेण्ड अप-इण्डिया (SUI)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि योजनान्तर्गत राज्य के बैंकों को आवंटित 13868 के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2017-18 में केवल 701 उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है एवं संचयी (Cumulative) 2339 उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है. उन्होने बैंकों से आग्रह किया कि उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कार्ययोजना के साथ क्रियांविति करावें.

एजेण्डा क्रमांक - 6
Rural Self Employment Training Institute (RSETI)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में 35 RSETI/RUDSET संचालित हैं एवं सितंबर 2017 तिमाही में आरसेटी संस्थानों द्वारा संचयी (Cumulative) 204100 प्रार्थियों को प्रशिक्षित कर उनमें से 155168 व्यक्तियों को व्यवस्थापित किया गया है. राज्य में सभी आरसेटी की समेकित व्यवस्थापन दर 76.03% रही है, जिनमें से 36.64% लोगो को बैंक ऋण से व्यवस्थापित किया गया है.

RSETI- Status Building Construction (Summary)
उप महाप्रबंधक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आरसेटी संस्थानों के 20 भवन निर्माणाधीन हैं एवं 09 जिलों में भूमि आवंटन के प्रकरण विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं. राज्य सरकार से इन प्रकरणों पर शीघ्र निर्णय लिए जाने का अनुरोध किया गया.

Progress under RBI's Model Scheme for Financial Literacy Centers
उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि विभिन्न बैंकों ने 67 FLCs स्थापित किए हैं जिनके माध्यम से सितंबर 2017 तिमाही में (पार्ट ए) लक्षित समूह के लिए 491 एवं पार्ट बी के लिए 918 विशेष कैंप आयोजित किए गए हैं.

एजेण्डा क्रमांक - 7

Performance under CGTMSE

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने योजनान्तर्गत राज्य में सितम्बर 2017, तिमाही तक 2733 उद्यमियों को एवं राशि 215 करोड़ रू कवर किये जाने से समिति को अवगत करवाया एवं योजनान्तर्गत बैंकों से कवरेज बढ़ाने का आग्रह किया.

एजेण्डा क्रमांक - 8

शिक्षा ऋण (Education Loan)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में राज्य में 7156 छात्रों को राशि रू 199.12 करोड़ के शैक्षिक ऋण उपलब्ध करवाए गए हैं जिनमें कुल बकाया राशि रू 1690.76 करोड़ होने से अवगत करवाया.

एजेण्डा क्रमांक - 9

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में सितम्बर 2017 तक 1539 इकाइयों को राशि रू 14.17 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाने से अवगत करवाया है एवं बैंको से प्राप्त सूचना के आधार पर हुड़को (HUDCO) ने प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में सितम्बर 2017 तक 695 इकाइयों को 2.19 करोड़ रू का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया है. उन्होने बैंको से आग्रह किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना के तहत लाभान्वित करने का प्रयास करें.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने सभी बैंक नियंत्रकों को निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए :

1. ई-शक्ति प्रोजेक्ट के तहत एसएचजी के वित्तीय लेन-देन का रिकॉर्ड एवं ग्रेडिंग भी पोर्टल पर उपलब्ध है जिससे बैंक शाखाओं को एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज करने में आसानी होगी. इस वित्तीय वर्ष में ई-शक्ति प्रोजेक्ट में राजस्थान के 7 जिलों यथा अलवर, अजमेर, झुंझुनु, कोटा, बांसवाड़ा, जोधपुर एवं उदयपुर को और शामिल किया गया है.
2. प्रधानमंत्री की कृषकों की 2022 तक आय को दुगना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में एफ़पीओ की प्रमुख भूमिका हो सकती है. साथ ही उन्होने सूचित किया कि उनकी भरतपुर विजिट के दौरान पाया गया कि मंडी समिति ने एफ़पीओ को लाइसेन्स देने के लिए सहमति जताई है एवं नाबार्ड द्वारा राज्य

में 143 एफ़पीओ स्थापित किए गए है. उन्होने भारत सरकार के निर्देशानुसार गठित एफ़पीओ को लाइसेन्स देने एवं मंडी में स्थान उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार से अनुरोध किया.

3. राज्य के समस्त पात्र किसानों को उत्पादन ऋण (Production Credit) उपलब्ध करवाने हेतु समस्त बैंक नियंत्रकों को निर्देश प्रदान दिए.
4. आरआईडीएफ़ के तहत राज्य में राशि रू 1500 करोड़ राजस्थान सरकार को उपलब्ध करवाया जा चुका है.
5. गोइंग डिजिटल के केंप के लिए नाबार्ड राशि रू 5000 प्रति केंप उपलब्ध करवाता है इस संबंध में समस्त बैंक नियंत्रकों को अधिकाधिक केंप आयोजित कर राशि का पुनर्भरण करने का अनुरोध किया.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समस्त बैंक नियंत्रक सदस्यों को निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए :

- बैठक के कार्यवाही बिन्दु (ATR) पर तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किए जिससे आगामी बैठक में चर्चा के लिए कार्यवाही बिन्दु (ATR) कम से कम शेष रहे.
- एसएचजी क्रेडिट लिंकेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शाखाओं को निर्देशित करें जिससे राज्य के पिछड़े लोगो को अधिकाधिक लाभ मिल सके एवं बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण में बढ़ोतरी दर्ज की जा सके.
- भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्र में कृषकों को लाभान्वित करें.
- भारत सरकार के निर्देशानुसार Aadhar Authentication का कार्य तय समय सीमा में करने के लिए शाखाओं को निर्देशित करें एवं सप्ताह में कम से कम दो बार Aadhar Authentication की प्रगति पर समीक्षा करें.
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं स्टेंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत गुण दोष को ध्यान में रखते हुए पात्र व्यक्तियों को वित्त पोषित करते हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शाखाओं को निर्देशित करें .

उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा श्री संदीप भटनागर द्वारा समिति में पधारे मंचासीन अतिथियों, केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सिड्बी, बीमा कंपनी के अधिकारी सहित सभी बैंकर्स को धन्यवाद ज्ञापित किया गया.

****